न्यायालयः ग्राम न्यायालय, नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी	–	**सतीश फानिन (आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	–	**210/2023**
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	–	**210/2023**
सी०एन०आर० नंबर	–	**RJJH140006912023**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	**219/2023, पुलिस थाना मुकुंदगढ़**

सरकार **बनाम** **विक्रम सिंह उर्फ गुट्टू सिंह**

<u>अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भा.द.स.</u>

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री आदित्य
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	**01.** विक्रम सिंह उर्फ गुट्टू सिंह पुत्र पर्वत सिंह, उम्र 22 वर्ष, **02.** हेम सिंह पुत्र रणजीत सिंह, उम्र 24 वर्ष, समस्त निवासीगण नाहरसिंहानी, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री श्रवण सिंह
अधिवक्ता परिवादी	–––––

B

अपराध की दिनांक	12.10.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12.10.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.12.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.12.2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	06.02.2024
निर्णय दिनांक	20.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	विक्रम सिंह उर्फ गुट्टु सिंह	–	–	323, 341, 427, 504, 506/34 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–
2.	हेम सिंह	–	–	323, 341, 427, 504, 506/34 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	आदित्य	परिवादी/आहत
पी.डब्ल्यू 2	उदय सिंह	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 3	अरविंद कुमार	आौपचारिक गवाह
पी.डब्ल्यू 4	डॉ. चंद्रशेखर	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 5	जोगेंद्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी. 1	तहरीर रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफ.आई.आर.
3.	प्रदर्श पी. 3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी. 4	फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त विंडो एसी
5.	प्रदर्श पी. 5	फर्द जप्ती पैनड्राईव
6.	प्रदर्श पी. 6	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण–पत्र
7.	प्रदर्श पी. 7	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आहत आदित्य डोटासरा
8.	प्रदर्श पी. 8 से प्रदर्श 13	होटल आरजे 18 में आम सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज फोटो
14.	प्रदर्श पी. 14 व 15	होटल आरजे 18 में कमरे में लगी क्षतिग्रस्त विंडो एसी

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

–:निर्णय:– **दिनांक: 20.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.10.2023 को परिवादी आदित्य ने पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 12.10.2023 को समय करीब 03.00 पीएम पर वह होटल के काउंटर पर बैठा था। उस समय चार लड़के विरेंद्र सिंह, हेमसिंह, रविसिंह व गुट्टु सिंह आये। वे सब लोग एक ही गाड़ी से आये व आते ही होटल के एसी रूम में जाकर एसी को तोड़ दिया तभी उसने वहां जाकर उनको तोड़फोड़ करने से मना किया तब चारों ने एकराय होकर उसके साथ लात–घूसों से मारपीट की व गाली–गलौच की व उसे घसीटते हुए नीचे लेकर आये। उसे गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास किया। उसी वक्त उसके ही होटल के कर्मचारी ने बीच–बचाव किया व जाते वक्त उसकी पेंट में से 1580 रूपये निकाल कर ले गये और मारने की धमकी दी। उसकी जेब में से निकाले गये रूपये उन्होंने गाड़ी की डिग्गी में डाले जिसकी रिकॉर्डिंग होटल के सीसीटीवी कैमरे में है, इत्यादि.......।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219/2023 अन्तर्गत अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2023 को पेश किया गया, जिस पर उक्त धाराओं में दिनांक 12.12.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश दिनांक 12.12.2023 को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 व 03 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाने का कथन किये है एवं प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

7. वहीं, दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि प्रकरण में गवाहान के बयान विरोधाभासी है। परिवादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

(1) **आया अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 12.10.2023 को समय 03.00 पीएम बजे या उसके लगभग वाके मौजा होटल आरजे 18 जांटवाली में परिवादी आदित्य कुमार को रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौच कर उसका अपमान किया तथा एसी को तोड़ कर रिष्टि कारित की?**

(2) **यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?**

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण के शिकायतकर्ता आहत आदित्य को पी डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह घटना के समय होटल आरजे 18 जांटवाली में काम करता था। होटल के संचालक अरविंद है। उनकी गैर मौजूदगी में होटल की देखभाल वह करता था। उक्त होटल में नाहरसिंघानियां गावं के विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह अक्सर खाना खाने के लिए आते–जाते थे। इसलिए वह उन्हें पहले से जानता था। दिनांक 12.10.2023 को समय करीब दोपहर के तीन बजे वह होटल के काउंटर पर बैठा था। तब वहां पर विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह आये और एसी का रूम गवाह से लिया। रूम में जाकर एसी को तोड़फोड़ करने लग गये। उसने जाकर उनको मना किया तो उन लोगों ने उसके साथ थाप मुक्कों और लात घुसों से मारपीट की और उसको घसीटते हुए नीचे लेकर आ गये और उन्होंने उसके साथ गाली–गलौच की व जान से मारने की धमकी दी और उसको गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास भी किया। उसका बीच–बचाव होटल के कर्मचारी उदय सिंह ने किया। उदय सिंह उसका बीच–बचाव नहीं करता तो उसके साथ उक्त लोग और अधिक मारपीट करते। ये लोग जाते समय उसकी जेब से 1580 रूपये लेकर चले गये। उक्त सारी घटना होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। एसी में तोड़फोड़ से लगभग 40–50 हजार रूपये का नुकसान हुआ। उक्त सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना के फोटो उसने एक पैनड्राईव में सेव किया जो पुलिस को अनुसंधान के लिए दिया था फिर उसने इस घटना की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 को पीएस मुकुंदगढ़ में पेश की थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 13.10.2023 को बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। उसके सामने क्षतिग्रस्त विंडो एसी का फर्द निरीक्षण पुलिस ने तैयार किया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने जो पैनड्राईव अनुसंधान में पुलिस को दिया था उसकी फर्द जप्ती पुलिस ने उसके सामने तैयार की जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र पेश किया था जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मूल पैनड्राईव आर्टिकल 01 है। सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड वक्त घटना की मूल फोटोज पत्रावली में शामिल है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह होटल में देखरेख का काम करता था। उस वक्त वह होटल में मैंनेजर का काम करता था। यह सही है कि उसने उसकी नौकरी के संबंध में पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिए। उसने जो एसी का कमरा दिया था उसका किराया 1000 रूपये था। यह सही है कि उसने जो होटल के कमरे किराये पर दिए जाने का रजिस्टर पत्रावली में पेश नहीं किया। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में यह नहीं लिखा हुआ है कि उसका बीच–बचाव उदय सिंह ने किया था। प्रदर्श पी 03 देखकर बताया कि बिंदू ए से बी उसकी होटल है। प्रदर्श डी 01 में ए से बी उसके हस्तलिखित अंकन है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है जो सही अंकन किया गया है। दो साल की बात हो गयी है। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 में एसी का सही होना लिखा गया है जो सही अंकन है। यह सही है कि पैनड्राईव जो उसने पुलिस को दिए थे और सीसीटीवी में से फुटैज उसने ही पैनड्राईव में डालकर दिए थे। प्रदर्श पी 06 में यह नहीं लिखा हुआ है कि पैनड्राईव इस्तेमाल की हुई थी या नयी थी, कहां से लाया था और उस पैन्ड्राईव में क्या था। यह सही है कि उसने धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 06 पुलिस को नहीं दिया। पुलिस ने यह कागज कहां से बनाया उसे नहीं पता। घटना के समय वहां पर 10–12 लोग होटल में थे। पत्रावली में शामिल फोटोज को उसने पुलिस को नहीं दिए। पुलिस ने उक्त फोटोग्राफ कहां से और कब प्रिंट करवाये उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो।

10.1 प्रकरण की चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 02 उदय सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह आरजे 18 होटल जांटवाली में कुक का काम करता था। होटल मालिक अरविंद का दोस्त आदित्य भी होटल को संभालता था। उस होटल में विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह अक्सर खाना खाने के लिए आते–जाते थे जिससे वह उन सभी को पहचानता है। दिनांक 12.10.2023 दोपहर ढाई बजे की बात है। वह होटल में ही था। उस समय विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह गाड़ी लेकर होटल आये। ये सभी होटल के उपर के रूप में चले गये और शराब पी। उसके बाद हेम सिंह उपर से नीचे आकर होटल कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसके साथ–साथ वे तीनों भी होटल के कमरों के आगे खड़े हो गये। आदित्य ने विक्रम सिंह से एसी वाले रूम का किराया मांगा फिर हेमसिंह और विक्रम सिंह आदित्य के साथ गाली–गलौच करने लगे फिर उन दोनों ने आदित्य के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। उसने, भूपेंद्र और विरेंद्र ने छुड़वाने की कोशिश की। हेमसिंह और विक्रम सिंह उर्फ गट्टू जिस कमरे में रूके थे उस कमरे का एसी भी तोड़ दिया था उस बात को लेकर आदित्य ने उन दोनों को उल्हाना दिया तो इस बात को लेकर यह घटना कारित की। मारपीट करने के अलावा विक्रम सिंह और हेमसिंह ने

आदित्य को जान से मारने की धमकी दी। उसके सामने पुलिस ने दिनांक 13.10.2023 को घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने क्षतिग्रस्त विंडो एसी का फर्द निरीक्षण किया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आदित्य ने इस घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज से एक पैनड्राईव में फुटेज डालकर पुलिस को अनुसंधान के लिए प्रदत्त करवाया था जिसकी फर्द जप्ती व विश्लेषण पैन ड्राईव उसके सामने जप्त हुई थी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि उसने आरजे 18 होटल में जो वह कुक का काम करता था उसके संबंध में कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिए। वह सुबह दस बजे से शाम के सात बजे तक होटल में काम करता था। यह सही है कि सुबह दस बजे से पहले कुकिंग का काम कोई नहीं करता है और शाम के सात बजे के बाद भी कुकिंग का काम नहीं होता। यह सही है कि वह रसोई में काम करता है। होटलों के कमरों में नहीं जाता। यह सही है कि उस कमरे में पहले से एसी टूटा हुआ हो तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह रसोई में काम करता है। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 में छुड़वाने वालों में आदित्य ने उसका नाम नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि अगर उसने छुड़वाया होता तो उसका नाम एफआईआर में छुड़वाने वालों में होता। यह सही है कि पुलिस ने पैनड्राईव के अलावा और कुछ जप्त नहीं किया। घटना के समय उनके अलावा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। एसी की जाली टूटी हुई थी और एसी सही था।

10.2 प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 03 अरविंद जानू ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह घटना के समय होटल चलाता था। उसकी अनुपस्थिति में होटल को उसका दोस्त आदित्य संभालता था। उसके होटल में विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह अक्सर खाना खाने आते रहते थे। इसलिए वह उनको जानता है। दिनांक 12.10.2023 के समय शाम तीन बजे उसकी होटल में विक्रम सिंह, रवि सिंह, हेम सिंह, विरेंद्र सिंह आये और उसके साथ मारपीट नहीं की। उनके हाथ में दारू की बोतल थी। आये और उपर के कमरे में जिसमें विंडो एसी लगा हुआ था। एसी को तोड़ा तो आदित्य ने उपर जाकर मना किया व विरोध किया तो उसके साथ गाली–गलौच व मारपीट की व घसीटकर नीचे लेकर आये तब उसके रसोईया उदय सिंह ने उनका बीच–बचाव किया। वह भी मौके पर आया और घटना देखी। वे लोग आदित्य के साथ मारपीट कर रहे थे। जाते समय वे लोग आदित्य को जान से मारने की धमकी देकर गये थे। मारपीट से आदित्य के शरीर पर चोटें आयी थी। उन लोगों ने आदित्य के साथ थाप–मुक्कों से मारपीट की थी। उक्त घटना सीसीटीवी कैमरे जो होटल में लगा था, में रिकॉर्ड हुई है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आदित्य ने होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के वक्त घटना की फोटोज को एक पैनड्राईव में डालकर अनुसंधान हेतु पुलिस को दिया था जिसकी फर्द जप्ती व विश्लेषण उसके सामने पुलिस ने तेयार की जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने क्षतिग्रस्त विंडो एसी की फर्द निरीक्षण तैयार की जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि होटल में कोई व्यक्ति कमरा लेकर रूकता

था तो उसका होटल के रजिस्टर में इंद्राज किया जाता था जो व्यक्ति होटल में रूकता था उसका पहचान संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी लेते थे। घटना के दिन विक्रम सिंह व हेमसिंह होटल में नहीं रूके। विक्रम व हेमसिंह ने घटना के दिन कोई कमरा बुक नहीं कराया। घटना के समय वह होटल पर नहीं था। उसने आदित्य को संभलाया था। उसे नहीं पता कि उस दिन क्या घटना हुई। घटना के बारे में आदित्य ने बताया था। उसने होटल का रजिस्टर देखा तो रजिस्टर में विक्रम व हेमसिंह के रूकने का कोई इंद्राज नहीं था।

10.3 प्रकरण में घटना के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू 04 डॉ. चंद्रशेखर शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 12.10.2023 को सीएचसी मुकुंदगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसने पुलिस प्रतिवेदन पर आहत आदित्य डोटासरा पुत्र श्री संजीव कुमार के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया था आहत के शरीर पर निम्न चोटें थीः

01. गर्दन के बांय तरफ असली हड्डी पर लालीनुमा लिए हुए चोट 05 गुणा 01 सेमी थी,
02. पीठ में दर्द की शिकायत।

दोनों चोटें साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि चार से छह घंटे के भीतर की थी। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिह्न व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि जो पीठ में दर्द की शिकायत थी उसमें आहत की पीठ को दबाकर देखा तो वहां पर टेंडरनेस नहीं थी। यदि अंदरूनी चोट होती तो टेंडरनेस होता।

10.4 प्रकरण में अन्य गवाह पी०डब्ल्यू 05 जोगेंद्र प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये है कि वह दिनांक 12.10.2023 को पीएस मुकुंदगढ़ में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थी आदित्य डोटासरा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी श्री सरदारमल एसआई के समक्ष पेश की जिस पर मुकदमा नंबर 219/2023 अपराध अंतर्गत धारा 451, 341, 342, 323, 379, 504, 506, 427/34 आईपीसी में दर्ज कर थानाधिकारी श्री सरदारमल एसआई ने तफतीश उसको सुपुर्द किया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी परिवादी के, सी से डी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है, ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी परिवादी के, सी से डी थानाधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर हैं जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने मौतबीरान के समक्ष घटनास्थ्ल का नक्षा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों के हस्ताक्षर है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुस्त पर आई से जे हालात मौका अंकित है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहन के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए थे। दौराने अनुसंधान परिवादी आदित्य कुमार ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के संबंध में तीन वीडियो क्लीप का पैनड्राईव अनुसंधान के लिए दिया जिसकी फर्द जप्ती व विष्लेषण उसके द्वारा तैयार की गयी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों के हस्ताक्षर है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त पैनड्राईव के संबंध में आदित्य ने धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का एक प्रमाण पत्र पेश किया

जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी आदित्या डोटसरा के हस्ताक्षर है। मूल पैनड्राईव संलग्न पत्रावली है जो आर्टिकल 01 है। उक्त पैनड्राईव में घटना के महत्वपूर्ण दर्शायों के ट्रांसक्रिपसन प्रिंट तैयार कर उसे शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 08 लगायत पी 13 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। क्षतिग्रस्त एसी बाबत तोडफोड़ बाबत रूबरू गवाहों के सामने उसके द्वारा किया गया निरीक्षण प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों के तथा जी से उच उसके हस्ताक्षर है। क्षतिग्रस्त वींडो के मूल फोटोज प्रदर्शपी 14 व पी 15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा शामिल पत्रावली के नोट के साथ्ज्ञ सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आहत आदित्य का चोट प्रतिवेदन तैयार करवारकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर शामिल पत्रावली के साथ ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण तफतीश से उसने अभियुक्तगण विक्रम सिंह उर्फ गुटु व हेम सिंह के विरूद्ध धारा 341, 323, 427, 504, 506/34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश किया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि होटल में रूम किराये के लिए रजिस्टर का संधारण करना आवश्यक है जो भी होटल में रहने के लिए आता है रजिस्टर में उसकी आईडी, नाम, पता, दिन लिखना आवश्यक है। उक्त रजिस्टर के संबंध में उसने परिवादी को लिखित में नोटिस दिया तो उसने अपने जवाब में विंडो एसी के बिल व होटल के रजिस्टर की प्रतियां बाबत नहीं होना व रजिस्टर का संधारण नहीं करना लिखित में बताया। यह सही है कि प्रदर्श पी 08 से पी 11 में फोटों स्पष्ट नहीं आ रही है जो फोटोग्राफस है वह होटल के काउंटर पर लगे कैमरे से ली हुई है व बाकी फोटों अंदर लगे हुए कैमरे से ली हुई है। यह सही है कि जो परिवादी द्वारा रिकॉर्डिंग पेश की गयी है उसकी जांच नहीं की गयी है। केवल प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करने पर फोटों और रिकॉर्डिंग व पैनड्राईव को सत्य होना पाया है।

11. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण विक्रम सिंह व हेम सिंह के विरुद्ध धारा 341, 323, 427, 504, 506/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि परिवादी आदित्य द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 01 में यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.10.2023 को 03.00 पीएम पर अभियुक्तगण होटल में आये तथा एसी रूम में जाकर तोड़फोड़ की। उसके मना करने पर लात–घुसों से मारपीट की, गाली–गलौच की तथा घसीटते हुए नीचे लाकर गाड़ी डालकर ले जाने का प्रयास किया। इस संबंध में परिवादी/आहत आदित्य गवाह पीडब्ल्यू 01 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है तथा अपने साक्ष्य में होटल के किराये पर दिए जाने वाले रजिस्टर को पत्रावली पर पेश करने से इंकार किया है। उक्त गवाह ने उसकी लिखित रिपोर्ट में बीच–बचाव उदय सिंह द्वारा किए जाने के संबंध में अंकन नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है कि क्यों अभियुक्तगण होटल के कमरे में गये। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा कमरा लिया गया हो ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं की है। घटना के चक्षुदर्शी तथा परिवादी के बचावकर्ता गवाह पीडब्ल्यू 02 उदय सिंह ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह रसोई में काम करता था तथा होटल के कमरों में नहीं जाता है, अगर कमरों में एसी पहले से टूटा हुआ हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार घटना के एकमात्र चक्षुदर्शी गवाह द्वारा भी उसके सामने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी आदित्य के साथ मारपीट किए जाने तथा एसी

तोड़े जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया। गवाह पीडब्ल्यू 03 अरविंद होटल चलाता है तथा उसने बरवक्त घटना स्वयं के उपस्थित होने से इंकार किया है। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया है कि कोई व्यक्ति कमरा लेकर रूकता है तो उसका रजिस्टर में इंद्राज किया जाता है तथा पहचान संबंधी दस्तावेज लिया जाता है। अभियुक्तगण ना तो होटल में रूके और ना ही उनके द्वारा कोई होटल में कमरा बुक करवाया गया। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा बरवक्त घटना अभियुक्तगण की उपस्थिति को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक एसी की तोड़फोड़ किए जाने का प्रश्न है। इस संबंध में भी किसी भी गवाह द्वारा ऐसी सुदृढ़ साक्ष्य नहीं दी गयी है जिससे एसी उनके द्वारा तोड़ी जाना प्रकट आता हो। इसके अतिरिक्त फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त एसी प्रदर्श पी 04 का अवलोकन करें तो उसमें एसी की जाली सही हालत में होना तथा चालू हालत में होने का अंकन है जिससे भी एसी क्षतिग्रस्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। जहां तक परिवादी की आयी चोटों का प्रश्न है उस संबंध में चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से जाहिरा चोट होना प्रकट नहीं आता है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 05 जोगेंद्र सिंह ने परिवादी द्वारा पेस्ट रिकॉर्डिंग, पैनड्राईव के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का कथन किया है, परंतु परिवादी आदित्य ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है तथा यह कथन किया है कि पुलिस प्रदर्श पी 06 कहां से बनाया उसे पता नहीं है। परिवादी द्वारा घटना के समय मौके पर दस–बारह लोगों के होने का कथन किया है, परंतु अभियोजन की ओर से ऐसे किसी स्वतंत्र गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्तगण की बरवक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित होने तथा आरोपित अपराध कारित किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दी है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण विक्रम सिंह व हेम सिंह के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.10.2023 को समय 03.00 पीएम बजे या उसके लगभग वाके मौजा होटल आरजे 18 जांटवाली में परिवादी आदित्य कुमार को रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा उनके साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की तथा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौच कर उसका अपमान किया तथा एसी को तोड़ कर रिष्टि कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण विक्रम सिंह व हेम सिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

<u>–आदेश–</u>

13. एतदद्वारा **अभियुक्तगण 01. विक्रम सिंह उर्फ गुट्टू सिंह पुत्र पर्वत सिंह, उम्र 22 वर्ष, 02. हेम सिंह पुत्र रणजीत सिंह, उम्र 24 वर्ष,समस्त निवासीगण नाहरसिंहानी, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं** को अपराध अंतर्गत धारा धारा 323, 341, 427, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

14. अभियुक्तगण को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रावधानों की पालना में 06 माह की अवधि के

लिए प्रभावी 10,000/– रुपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिये जाते है।

15. निर्णय आज दिनांक **20 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया। निर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. पर अपलोड की जावे।

(**सतीश फानिन**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं, राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.22 12:56:06 IST